

The Court of Subordinate Judge-I, Pupri (Sitamarhi)

Case No: PS-127/2018
Reg. No.- 127/2018

Raghuvansh Thakur Vs. Kumari Ranjana & Ors.

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
	<u>11/04/2023</u>	<p>उभयपक्षों की हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से शपथपत्र में दिये गए आवेदन दिनांक 23.01.2019 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथ धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।</p> <p>वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा वाद पत्र की मद सं० 2 में दर्ज भूमि में निस्वत अपने 1/2 अंश में बटवारा हेतु लाया गया तथा साथ ही केवाला दस्तावेज सं० 5202 दिनांक 08.08.2019 की शून्य एवं बेअसर घोषित करने का भी अनुतोष मांगा है। उनका उसमें यह कहना है कि विवादित भूमि का पुराना सर्वे उभयपक्षों के पूर्वज गोपाल सूरी के नाम से बना है तथा पुराने सर्वे सं० से नया सर्वे सं० के विभिन्न खेसरा बने हैं। विवादित खेसरा सं० 7167/12472 रकवा 44 डि० पर गुदरी बाजार लगता है तथा इससे कौड़ी वसूली जाती है जिसमें वादी का भी एक हिस्सा होता है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी का हिस्सा देना बन्द कर दिया है तथा धमकी देते हैं कि वे इस जमीन को अपने में मिला लोगो को बिक्री कर देंगे तथा वादी की उसमें हिस्से से वंचित कर देंगे। इसके अलावा मुदालय खेसरा सं० 7167/12472 पर जबरदस्ती मकान बनाना चाहते हैं। यदि मुदालह प्रथम पक्ष वादपत्र की मद सं० 1 में वर्णित भूमि में निस्वत किसी भी तरह दस्तावेज निष्पादित करने या उस पर कोई नया निर्णय करने में सफल हो जाते हैं या इस जमीन पर लगने वाली गुदरी बाजार से वसूल होने वाली कौड़ी (चुंगी) वसूल करने से मुदई की रोकने में सफल हो जाते हैं तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अतः वादी के इस इम्तेन्यई आवेदन को स्वीकृत करते हुए मुदालह प्रथम पक्ष की विवादीत भूमि पर किसी तरह का निर्णय नहीं करने एवं किसी तरह के निबंधित दस्तावेज की निष्पादीत करने पर रोक लगाते हुए मुदई की गुदरी बाजार से वसूल होने वाली कौड़ी (चुंगी) में हिस्सा देने या कौड़ी वसूल करने में पैदा किए जा रहे अवरोध पर रोक लगयी जाय ताकि वादी के साथ न्याय हो सके।</p> <p>मुदालह प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। मुदालह प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा दिया गया इम्तेन्यई आवेदन पोषणीय नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। उभयपक्षों के बीच खानदान में पूर्व में ही बंटवारा हो गया हुआ है तथा पुनः बंटवारा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पूर्व में बंटवारा को किसी न्यायलय द्वारा खंडित नहीं किया जाता है तब तक यह वाद चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की मद सं० 2 में अंकित जमीन पर वादी का कभी कोई हक व अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। वाद पत्र में मद सं० 2 में अंकित भूमि प्रतिवादी सं० 1 तिलेश्वर साह की बंटवारा एवं खरीदगी से प्राप्त है जिस पर उसका लगातार दखल कब्जा रहता चला आ रहा है। इस भूमि की जमाबंदी प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज है तथा वह बिहार सरकार को लगातार भू-राजस्व अदा करते आ रहे हैं। वाद पत्र की मद सं० 3 की भूमि खेसरा सं० 2103 खेसरा सं० 7167/12472 रकवा 44 डि० प्रतिवादी सं० 1 में दिनांक 08.08.2014 की प्रतिवादी सं० 16 जंगबहादुर राय पिता स्व० सिया</p>	

Case No.....

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
	<p>लगातार 11/04/23</p>	<p>लाल राय से पंजीकृत केवाला द्वारा खरीदी है तथा खरीदगी के दिन से ही इस भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है तथा उसका वे राजस्व बिहार सरकार की देते चले आ रहे है। इस खरीदगी जमीन पर प्रतिवादी सं0 1 ने कुछ मकान बनाकार किराए पर दिए है जिसमें 2 कमरा एस्बेस्टस का है और बाकी कमरा झोपड़ी का है। इस खरीदगी खेसरा सं0 7167/12472 के कुछ उस पर दुकान है तथा कुछ और पर बाजार लगाता है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 की यह खरीदगी जमीन है तथा उसका देखभाल करता है, अतः बाजार की कौड़ी (चुंगी) भी प्रतिवादी सं0 1 ही वसूलते है जिससे वादी या अन्य प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नही है। प्रस्तुत वाद में वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नही है तथा वादी के पक्षमें इम्तेनई आदेश पारीत न होने से वादी की कोई अपूर्णनीय क्षति भी धारित नही होगी। अतः वादी का इम्तेनाई आवेदन खर्च के साथ खारीज किया जाए ।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वाद भूमि मे अपने 1/2 अंश के बंटवारा हेतु तथा दिनांक 08.08.2014 को निष्पादित बंटवारा को शून्य एवं बेअसर घोषित करवाने हेतु लाया गया है। वादी का कहना है कि खानदान में बंटवारा पक्षकारो के बीच नही हुआ है तथा प्रतिवादीगण का कहना है कि पक्षकारो के बीच सम्पति का बंटवारा पक्षकारो के बीच बहुत पहले हो गया है। प्रतिवादी की ओर से अपनी ओर से बंटवारा दस्तावेज दिनांक 11.12.1974 की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व मे पक्षकारो के पूर्वजों के बीच बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को खाता सं0 2103 खेसरा सं0 7167/12472 रकवा 44 डी0 जमीन पंजीकृत बैनामा के द्वारा दिनांक 08.08.2014 भी प्राप्त हुई है तथा उसकी जमाबंदी सं0 7176 भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कायम है जिसका लगान भी वो अदा करते है। इस खरीदगी जमीन पर उनका दखल कब्जा है तथा उसपर लगने वाली गुदरी बाजार की कौड़ी भी वही वसूलते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद में वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता प्रतीत होता है चूकि यह जमीन प्रतिवादीगण के कब्जे में है तथा उनका उस पर मकान है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नही है तथा इम्तेनई आदेश वादी के पक्ष में पारित न होने से किसी अपूर्णनीय क्षति की कोई संभावना वादी को नही है। अतः वादी का इम्तेनई आवेदन वादहित एवं न्यायहित में खारीज किया जाता है। इस आदेश का वाद के गुण दोष पर होने वाले निर्णय पर कोई प्रभाव नही पडेगा। वाद दिनांक 27-4-23 वास्ते अग्रिम कार्यावाही हेतु।</p>	

लेखापित



(वसीम अकरम खान)
अवर न्यायाधीश प्रथम
पुपरी, सीतामढ़ी